तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 88/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
29.1.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हितेन्द्र कुमार पुत्र श्री भंवरलाल माली, निवासी– गोकुलवाडी गली नं. 04, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म मगाराम ओटाराम माली, मैन मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही) व प्रतिवादी संख्या 2 (भंवरलाल माली, प्रोपराईटर, फर्म मगाराम ओटाराम माली, मैन मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही) के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 3 (अशोक कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सानिया ट्रेडिंग कमपनी, खोडा देवी मन्दिर के पास, भैरु चौक रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली) के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक16.8.2021 को फर्म मगाराम ओटाराम माली, मैन मार्केट, शिवगंज में प्रतिवादी हितेन्द्र कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) का नमूना संख्या S-1458, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./460/ Act/2021/558 दिनांक 19.8.2021 में अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब को ही प्रतिवादी संख्या 3 का भी जवाब माना जाने का अनुरोध किया। प्रकरण में दिनांक 21.01. 2025 को प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्तगण जांच रिपोर्ट का प्रतिरोध करते है तथा प्रतिवादी अभियुक्तगण को जो नोटिस खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। वह न्यायोचित नहीं है। मान्य नहीं है, क्योंकि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अनुसार खाद्य पदार्थ अमानक व मिस ब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र तथा समस्त दस्तावेज जो परिवाद पत्र के साथ पेश किये हैं उससे प्रथम दृष्ट्या मामला अमानक व मिस ब्राण्ड का प्रतिवादी अभियुक्तगण के खिलाफ नहीं बनता है। यह कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 88/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी ने दिनांक 16–8–2021 को विक्रेता फर्म मैसर्स मगाराम ओटाराम माली, मैन मार्केट, शिवगंज से निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (बालाजी ब्राण्ड) ब्राण्ड को वास्ते जांच नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित नही की है एवं न ही मौके पर कार्यवाही की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाली प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाकर मनमर्जी अनुसार खाली प्रपत्रों को भरकर व गवाह बनाकर गलत कार्यवाही की है। प्रतिवादीगण की फर्म ने उक्त खाद्य पदार्थ चांदी वर्क बालाजी ब्राण्ड़ का निर्माण व पैकिंग नही की है एवं न ही प्रतिवादीगण उक्त खाद्य पदार्थ बालाजी ब्राण्ड के निर्माता व पैकर है। इसके निर्माता एल.एम. पटेल वर्कवाला प्रा.लि.क. बालाजी एस्टेट बी/एच विघब्रीज, कृष्णा टेक्सटाईल के सामने, नारोल चोकडी रोड़, नारोल, अहमदाबाद है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 से खाद्य पदार्थ चांदी वर्क बालाजी ब्राण्ड़ को क्रय किया एवं जिस अवस्था में क्रय किया उसी अवस्था में विक्रय किया जाता है। इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ चांदी वर्क बालाजी ब्राण्ड़ की निर्माता/पैकर फर्म को पक्षकार नही बनाया है, जबकि निर्माता इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 16.8.2021 को समय 5–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मगाराम ओटाराम माली, मैन मार्केट, शिवगंज, जिला–सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी हितेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल माली, निवासी– गोकुलवाडी गली नं. 04, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मगाराम ओटाराम माली, मैन मार्केट, शिवगंज की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के 02 पैक्ड पाउच (प्रत्येक में 150 Piece) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता हितेन्द्र कुमार को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में बिक्री हेतु रखे हुए उक्त खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के 02 पैक्ड पाउच (प्रत्येक में 150 Piece) में से चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के एक पैक्ड पाउच को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 550/– (अक्षरे रुपये पांच सौ

.......लगातार

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 88/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

पचास मात्र) प्रतिवादी हितेन्द्र कुमार को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1458, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के पैक्ड पाउच को खोलकर चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) को बराबर बराबर मात्रा में चार साफ, खाली व सूखें प्लास्टिक डिब्बों में भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया एवं एक नमूना डिब्बे के साथ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के पैक्ड पाउच के लेबल को लगाकर टेप से चिपकाया। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के उक्त चारों नमूना डिब्बों पर एक-एक लेबल चिपकाया एवं चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के चारों नमूना डिब्बों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1458 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.8.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 16.8.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (भंवरलाल माली) की प्रोपराईटरी फर्म मगाराम ओटाराम माली, मैन मार्केट, शिवगंज में प्रतिवादी हितेन्द्र कुमार से खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के उक्त पैक्ड पाउच को खाद्य सुरक्षा एवं

......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 88/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के नमूना संख्या S-1458 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./460/Act/2021/558 दिनांक 19.8.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी भंवरलाल माली की प्रोपराईटरी फर्म मगाराम ओटाराम माली, मैन मार्केट, शिवगंज द्वारा खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) को फर्म सानिया ट्रेडिंग कम्पनी, खेडा देवी मन्दिर के पास, भैरु चौक रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये बिल क्रय किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 3 (अशोक कुमार) की प्रोपराईटरी फर्म है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 (अशोक कुमार) ने चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अशोक कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सानिया ट्रेडिंग, खेडा देवी मन्दिर के पास, भैरु चौक रोड़, सुमेरपुर ही दोषी है। प्रतिवादी अशोक कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सानिया ट्रेडिंग द्वारा अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Balaji Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अशोक कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सानिया ट्रेडिंग, खेडा देवी मन्दिर के पास, भैरु चौक रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अशोक कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सानिया ट्रेडिंग, खेडा देवी मन्दिर के पास, भैरु चौक रोड़, सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी अशोक कुमार को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 07–3–2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)